(8)

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memo/bgr

Dated- 29/12/2021

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.469 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Kaliyabagar to Goginapani M/road from Km 2 of Mandalsera motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Gram Goginapani**, **Kaliyabagar** and **Falyati** village in **Bageshwar** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.469 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 29/12/2021

(Vineet Kumar,)

District Collector

जिलाधिकारी बागेश्वर

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

(9)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–गोगिनापानी (फल्याटी)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.703 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.766 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.469 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गोगिनापानी (फल्याटी) द्वारा दिनांक .... 04/08/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत गोगिनापानी (फल्याटी) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्रा0 प0 वि0 अ0
क्षेत्र गोगिनापानी
वि0ख0 / जिला बागेश्वर

ह0/
ग्राम सचिव

आनन्दी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गोगिनापानी
वि0ख0 एवं जनपद–बागेश्वर

ह0/
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनाक 4/8/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– गोगिनापानी, तोक–फल्याटी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जीवन सिंह	जीवन सिंह
2	पूजा देवी	पूजा देवी
3	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
4		Dheeraj
5	धीरज सिंह	
6	भावना देवी	[illegible]
7	जीवन सिंह	जीवन सिंह
8	राधा देवी	राधा देवी
9	गीता	गीता
10	जानकी देवी	जानकी देवी
11	जगदीश चन्द्र	जगदीश चन्द्र
12	विमला भट्ट	विमला भट्ट
13	मोहन सिंह	[illegible]
14	मदन सिंह बिष्ट	मदन सिंह
15	सुरेश चन्द्र काण्डपाल	Suresh
16	हरीश चन्द्र पाण्डे	[illegible]
17	हीरा वल्लभ	हीरा वल्लभ
18	सुरेश चन्द्र मैनपाल	[illegible]
19	भुवन चन्द्र	Bhuwan Ch

आनन्दी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गोगिनापानी
वि0ख0 एवं जनपद–बागेश्वर

(11)

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनाक 4/8/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– गोगिनापानी, तोक–गोगिनापानी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	आनन्द सिंह	[signature]
	धन सिंह	Dhan. Singh
	शेर सिंह	[signature]
	बीना देवी	[signature]
	विक्रम सिंह	विक्रम बिष्ट
	मदन सिंह	[signature]
	मोहन सिंह	कमला देवी
	प्रकाश सिंह	नीलम
	जीवन सिंह	जीवन सिंह
	नन्दन सिंह	Nandan singh
	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
	रोहित	रोहित
	मीना देवी	मीना देवी
	दीपा देवी	दिपा देवी
	पुष्कर सिंह	[signature]
	मनोज सिंह	Manoj Bisht
	मीरा देवी	मीरा देवी
	कमला देवी	[signature]
	उमेद सिंह	उमेद सिंह
	किशन सिंह	[signature]
	प्रेमा देवी	प्रेमा देवी
	जीवन सिंह	जीवन सिंह
	जोगा सिंह	जोगा सिंह
	धन सिंह	[signature]

11A

पंकज सिंह	—	पंकजसिंह
गीता देवी	—	गीता देवी
जगदीश सिंह	—	जगदीश सिंह
सुरेश सिंह	—	सुरेश सिंह
बलवन्तसिंह		
आनन्दी देवी		आनन्दी देवी

आनन्दी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गोगिनापानी
वि०ख० एवं जनपद-बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनाक 5/8/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– गोगिनापानी, तोक–कलियाबगड़

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	आनुली देवी	आनुली देवी
2)	सरिता देवी	सरिता देवी
3	मथुरा दत्त	मथुरादत्त
4	हीरा वल्लभ	हीराबल्लभ
5)	दीवान राम	[illegible]
6)	मालती देवी	मालती देवी
7	गिरीश चंद	गिरीश चन्द
8	देवी दत्त	देवी दत्त
9-	गोविन्दी देवी	गोविन्दी देवी
10	भुवन चन्द्र पाण्डे	भुवन चन्द
11-	त्रिलोक चन्द्र पाण्डे	त्रिलोकचन्द
12-	रघुपाल दत्त	[illegible]

आनन्दी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गोगिनापानी
वि0ख0 एवं जनपद-बागेश्वर

1.6
प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–घिरोली, तोक–जोशीगॉव
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.703 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.766 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.469 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घिरोली द्वारा दिनांक 18/08/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत घिरोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
जनपद–बागेश्वर

ह0/
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत घिरोली
वि0ख0 एवं जिला–बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14)

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनाक 18/08/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– धिरोली, तोक–जोशीगॉव

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शैलेन्द्र सिंह कार्की	Rajan
2	कमला देवी	कमला देवी
3)	कुन्दन सिंह	Kundan
4)	पूरन सिंह	Pathwari
	विक्रान्त सिंह	Kishan
	विशान सिंह	विशान सिंह
	कमल सिंह	कमल सिंह
	भागवत सिंह	भागवत सिंह
	दान सिंह गाड़िया	Dansingh
	मोहन सिंह कन्याल	[illegible]
	गोपाल राम	गोपाल राम
	नवीन चन्द्र	Mlh
	गणेश राम	Amit kumar
	कुन्दन राम	Himanshutamta
	विशन राम	Neelam
	कैलाश राम	विजय कुमार
	पान सिंह	पान सिंह
	रणजीव सिंह	Lalit
	जोगा सिंह	Rohit
	शेर सिंह	J Singh / शेर सिंह
	मोहन सिंह	Mohan
	गोविन्द सिंह धपवाल	Govind Singh
	विरम सिंह	विरम सिंह

14A

बलवन्त सिंह
नन्दन सिंह
शेखर सिंह
भूपाल सिंह बिष्ट
विरेन्द्र सिंह
रवीन्द्र सिंह
हवीना सिंह बिष्ट
बलवन्त सिंह बिष्ट
सुरेश बिष्ट
विशन सिंह
गोविन्द सिंह बिष्ट
पान सिंह
पूरन सिंह पिलख्वाल
गोपाल सिंह कार्की
शेर सिंह बिष्ट
जितेन्द्र सिंह बिष्ट
किशन सिंह बिष्ट
नन्दन सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत घिरौली
... एवं जिला–बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.703 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.766 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 1.469 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 23.9.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति बागेश्वर की बैठक श्री हर गिरी ,उप जलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री हर गिरी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री श्याम सिंह करायत	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3–	श्री गिरीश न्यूली	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्री प्रशान्त नगरकोटी	बी0डी0सी0 क्षेत्र, बुड़गुना	सदस्य

उपजिलाधिकारी ... वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर वन क्षेत्र ... प्रकाश सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत ...ना विकास खण्ड व जिला, बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.469 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।

(16)

अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

(17)

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 29/12/2021 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 23/09/2021 द्वारा जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग के लिए 1.469 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर द्वारा मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग के लिए 1.469 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग के लिए 1.469 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व **संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है।** परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

(हेम-चन्द्र तिवारी)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

हिमांशु बागरी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

विनीत कुमार
जिलाधिकारी
बागेश्वर

सुरेन्द्र सिंह खेतवाल
सदस्य
जिला पंचायत क्षेत्र चौरा–01
जिला–बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

Sunita
सदस्य
पंचायत क्षेत्र कौसानी
जनपद-बागेश्वर

सदस्य
जिला पंचायत - आरे
वि0ख0/जनपद - बागे

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड–गोगिनापानी तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी **अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है।** परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 29/12/2021

(विनीत कुमार)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।